

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्याशित)

संख्या 173/2013

निर्णय दिनांक :- 24.12.2020

नेश कुमार पुत्र महावीर कुमार जाति जैन निवासी सरोली मोड़ तहसील दूनी जिला-टोंक राज0
- वादी -

बनाम

1. भगवान दत्तक पुत्र बजरंगा जाति गुर्जर निवासी सरोली तहसील दूनी जिला-टोंक राज0
2. प्रहलाद राय पुत्र स्व0 रामदेव जाति मीणा निवासी निवारिया तहसील देवली जिला-टोंक राज0
3. मधुबाला पत्नि श्यामलाल जाति मीणा निवासी आदर्श नगर टोंक हाल निवासी चन्द्र भवन पटेल नगर देवली जिला-टोंक राज0
4. रतनसिंह किडवा पुत्र धन्नाराम जाति मीणा निवासी पौल्याडी तहसील देवली जिला-टोंक राज0
5. गोपाल पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी सरोली तहसील दूनी जिला-टोंक राज0
6. रतिराम पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी सरोली तहसील दूनी जिला-टोंक राज0
7. कम्पू पुत्री बालूराम जाति जाट निवासी सरोली तहसील दूनी जिला-टोंक राज0
8. रसाल बेवा बालुराम जाति जाट निवासी सरोली तहसील दूनी जिला-टोंक राज0
9. मीनाक्षी पत्नि पवन कुमार जाति जैन निवासी आवां तहसील दूनी जिला-टोंक राज0
10. हेमन्त पुत्र कैलाशचन्द जाति जैन निवासी आवां तहसील दूनी जिला-टोंक राज0
11. तहसीलदार दूनी, तहसील दूनी जिला टोंक राज0

- प्रतिवादीगण-

उपस्थिति :-

श्री बी. एल. कलवार

अधिवक्ता वादी

श्री महावीर सिंह राठोड

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 ता 4

श्री प्रकाश चन्द जैन

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 9

श्री आर. एन. तुनगारिया

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 10

वाद विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। निर्णय इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 30.10.19 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली में बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में कुर्रजात

11.12.20

तहसीलदार दूनी से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। कुर्रेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता से अवलोकन करवाया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना रही कि कुर्रेजात रिपोर्ट और मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री पारित कर दी जावें। अधिवक्ता वादी व अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 10 की बहस में कुर्रेजात रिपोर्ट सहमति को मध्यनजर रखते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार दूनी द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये है। अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री आदेश एतद् द्वारा पारित किया जाता है कि जमाबंदी संवत जमाबंदी सम्वत् 2070-73 वाके ग्राम सरोली पटवार हल्का सरोली भू.अभि.नि. क्षेत्र देवड़ावास के खाता संख्या 197 में दर्ज खसरा नम्बर 873 रकबा 0.24 है, दर्ज राजस्व रिकार्ड है। तहसीलदार दूनी की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार है:-

क. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1	हेमन्त पुत्र कैलाश चन्द जाति जैन सा० आंवा खातेदार नक्शा ट्रेस में काले रंग से दर्शित	873 मि.	0.0350	बारानी-1	0.28
	योग	किता-1	0.035	-	0.28
2	दिनेश कुमार पुत्र महावीर कुमार जाति जैन सा० आंवा खातेदार नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शित	873 मि.	0.0400	बारानी-1	0.32
	योग	किता-1	0.0400	-	0.32
3	भगवान दत्तक पुत्र बजरंगा हि० 4/33 जाति गुर्जर सा० निवारिया प्रहलाद राम पुत्र स्व. रामदेव	873	0.1400	बारानी-1	1.12
		873 मि.	0.0250	बारानी-1	0.20

01.2.20

हि. 2/11 जात मीणा सा० निवारिया मधुबाला पत्नी श्यामलाल हि० 2/11 जाति मीणा सा० आदर्श नगर टोंक रतन सिंह कीड़वा पुत्र स्व. धन्नाराम हि० 2/11 जाति मीणा सा० पोल्याड़ी गोपाल पुत्र बालूराम हि० 5/132 जाति जाट सा० देह कम्पू पुत्री बालूराम हि० 5/132 सा० देह रसाल पत्नी बालूराम हि० 5/132 सा. देह रतिराम पुत्र बालूराम हि० 5/132 जाति जाट मिनाक्षी पत्नी पवन कुमार हि० 2/11 जाति जैन सा० आंवा खातेदार खातेदार नक्शा ट्रेस में पीले रंग से दर्शित				
योग	किता-2	0.1650	-	1.32

संलग्न तहसीलदार दूनी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ पेश नक्शा ट्रेस। तहसीलदार दूनी को उक्तानुसार पालना हेतु निर्णय व अन्तिम डिक्री की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 उपखण्ड अधिकारी
 देवली